न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 136/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 4.10.2016
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. कालू उर्फ लटूर पुत्र पांच्या जाति सहरिया निवासी बिलासगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)।

....अपीलाट्स

बनाम

1. गजरी बाई पुत्री श्री पांच्या जाति सहरिया निवासी बिलासगढ तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0 (मृतक)
1/1—गोबरीलाल पुत्र धन्नालाल जाति सहरिया निवासी बिलासगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)।
2 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम— 2

:::निर्णय:::

दिनांक 7.11.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 12/15 बउनवान गजरीबाई बनाम कालू उर्फ लटूर वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 26.7.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम बिलासगढ तहसील किशनंगज स्थित आराजी ख0 नं0 663 रकबा 6 बीधा 5 बिस्वा का खातेदार मृतक पांच्या के फौत होने उपरांत कालू उर्फ लटूर के नाम तस्दीक किये गये नामा0 सं0 65 दिनांक 19.1.1973 से अप्रसन्न होकर गजरीबाई द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक खातेदार की जायज पुत्री होने से विवादित आराजी मे उसका व कालू उर्फ लटूर का बराबर—बराबर हिस्सा है अतः सम्पूर्ण आराजी का कालू उर्फ लटूंर के नाम तस्दीक किया गया नामान्तरकरण अवैधानिक होने से निरस्त किया जाकर विवादित आराजी मे अपीलांट की विरासत तय करते हुये पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.7.2016 को गजरीबाई द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को स्वीकार कर शुद्धि हेतु प्रकरण तहसीलदार को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि इन्तकाल सं0 65 मे वर्णित आराजीयात एंव मूल खातेदार मृतक पांच्या के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार विधि सम्मत नामान्तरकरण खोला जावे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट कालू उर्फ लटूर द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम 1/1 सहरिया है जो अनुसूचित जन जाति की पारिभाषा मे आते है तथा अनुसूचित जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र होने पर पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कानूनी रूलिंग आरआरडी 1989 पेज 284 एवं आरआरडी 2015 पेज

206/207 जो गजरीबाई द्वारा पेश की गई थी को पढने से भी मीणा जाति मे लडका होने पर लडकियों को कोई हक नही होना वर्णित है। इसी प्रकार आरआरटी 2014 वोल्यूम 2 पेज 901 एवं आरआरटी 2016 वोल्यूम 1 पेज 196 मे भी विभिन्न न्यायालयों ने यही फाईन्डिंग दी है। पीठासीन अधिकारी ने उक्त कानूनी तथ्यो को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून है। इंतकाल सं0 65 दिनांक 19.1.1973 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील लगभग 40 वर्ष बाद दिनांक 8.9.2015 को देरी का कारण गलत अंकित करते हुये पेश की गई। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बगैर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 26.7.2016 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम 2 राजकीय अभिभाषक सुनी गई। रेस्पो0 क्रम–1 ने बावजूद सूचना के उपस्थित होकर अपील प्रकरण मे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सहरिया जाति से है जो अनुसूचित जन जाति की पारिभाषा मे आते है तथा अनुसूचित जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। सहरिया जाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र होने पर पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने उक्त कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून है। इंतकाल सं0 65 दिनांक 19.1.1973 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील लगभग 40 वर्ष बाद दिनांक 8.9.2015 को देरी का कारण गलत अंकित करते हुये पेश की गई। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बगैर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर प्रकरण को रिमांड करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को अपील खारिज करना चाहिये था। 40 वर्ष पश्चात नामा0 की अपील करने का कोई कानूनी औचित्य नही है रेगूलर वाद पेश कर अपना हक अधिकार तय कराना चाहिये था। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1989 पेज 384, आरआरटी 2014 पेज 901, डीएनजे(राज0)2014 पेज 1050, आरआरटी 2015 पेज 606 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–2 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–2 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। रेस्पो0 क्रम–1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम 1/1 सहरिया जाति से है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का प्रश्नगत अपील प्रकरण मे मुख्य तर्क है कि सहरिया जाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र होने पर पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं है। इस संबध मे उन्होने आरआरटी 2014 पेज 901, डीएनजे(राज0)2014 पेज 1050, आरआरटी 2015 पेज 606 का न्यायिक उद्धरण पेश किया गया जो प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर किये बिना निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी ख0 नं0 663 रकबा 6 बीधा 5 बिस्वा ग्राम बिलासगढ तह0 किशनगंज के खातेदार मृतक पांच्या के फौत होने उपरांत नामा0 सं0 65 दिनांक 19.1.1973 कालू उर्फ लटूर के नाम तस्दीक किया गया। रेस्पो0 गजरीबाई द्वारा उक्त नामा0 को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.9.2015 को लगभग 40 वर्ष बाद नामा0 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.8.2015 को वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की गई। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे

प्र० स० राद०

वर्णित तथ्यों से सहमत होते हुये डिले कन्डोन कर अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णित किया है किन्तु 40 वर्ष बाद विलम्ब से अपील पेश करने का पत्रावली मे कोई समुचित आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपील को अवधि मध्य मानकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। यदि रेस्पो0 के विवादित आराजी मे किसी प्रकार से हक हकूक प्रभावित होते है तो वह सक्षम न्यायालय मे रेगूलर वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार तय कराने के लिये स्वतंत्र है। फलत् उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 26.7.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, शाहबाद जिला बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 12/10 बउनवान गजरीबाई बनाम कालू उर्फ लटूर आदि मे पारित निर्णय दिनांक 26.7.2016 अपास्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा